प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 07.10.2025

थाना भोजपुर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

आज दिनांक 07.10.2025 को थाना भोजपुर पर वादिया द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त शमशाद पुत्र तोसीफ निवासी ग्राम त्यौडी-13 थाना भोजपुर गाजियाबाद द्वारा वादिया के साथ शादी का झांसा देकर वादिया के साथ शारीरिक संबंध बनाना तथा बाद में मारपीट कर जान से मारने की धमकी देना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना भोजपुर पर तत्काल धारा- 69/352/351(3) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त शमशाद पुत्र तोसीफ निवासी ग्राम त्यौडी-13 थाना भोजपुर गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मेरी पीड़िता से जान पहचान व बातचीत थी। मैंने उसके साथ शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाये थे तथा उसके साथ मारपीट करते हुए उसको जान से मारने की धमकी भी दी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

शमशाद पुत्र तोसीफ निवासी ग्राम त्यौडी-13 थाना भोजपुर गाजियाबाद उम्र करीब 27 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना भोजपुर पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम–

थाना भोजपुर पुलिस टीम।

थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा गाली गलौच व जान से मारने की धमकी देने के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 06.10.2025 को वादी श्री कपिल पुत्र ज्ञानचन्द निवासी ग्राम गढी जस्सी लोनी गाजियाबाद द्वारा नामजद तहरीर दी गई कि सलाम होटल लोनी गाजियाबाद में खाने की पैकिंग करने वालों द्वारा वादी को वैज खाना देने के बजाय नॉनवेज खाना दे देना जिसकी शिकायत करने पर वादी के साथ गाली गलौच करना व जान से मारने की धमकी देना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी पर सुसंगत धारा 352/351(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित 02 अभियुक्तों 1. फैजान पुत्र गुलफाम निवासी ईदगाह रोड गिरी मार्केट थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष 2.परवेज पुत्र मौ0 साजिद निवासी खुशहाल पार्क थाना ट्रोनिका सिटी उम्र करीब 28 वर्ष को लोनी तिराहा से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान बताया कि हमारे द्वारा वैज खाने की पैकिंग करते समय गलती से नॉनवैज के टुकडे खाने में पैक हो गये थे जिसकी हमे जानकारी नही थी। वादी द्वारा शिकायत करने पर हम दोनो पक्षों में कहासुनी व झगडा हो गया था।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता–

1.फैजान पुत्र गुलफाम निवासी ईदगाह रोड गिरी मार्केट थाना लोनी गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष।

2.परवेज पुत्र मौ0 साजिद निवासी खुशहाल पार्क थाना ट्रोनिका सिटी उम्र करीब 28 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तों के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना लोनी पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा हत्या की घटना कारित करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 01.10.2025 को समय करीब 16.30 बजे वादी सचिन पुत्र प्रेमचन्द निवासी मेन 25 फुटा रोड थाना लोनी बोर्डर गाजियाबाद के भाई विशाल व उसके दोस्त दीपांशु के साथ अभियुक्तगण 1.अमन पुत्र संजित 2. तुषार पुत्र संजित 3. शाहिल पुत्र मुनिया 4. जीत उर्फ संजीत पुत्र मुंशी 5. भीमा पुत्र विनोद निवासीगण बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बॉर्डर द्वारा लाठी, डण्डों, ईट पत्थर से मार पीट करना जिससे वादी के भाई विशाल का गम्भीररूप से घायल हो जाना जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में तहरीर प्राप्त हुई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल धारा 103(1)/3(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा विवेचनात्मक कार्यवाही व साक्ष्य संकलन के आधार पर उपरोक्त अभियोग में अभियुक्तगण 1. वरूण उर्फ कालू पुत्र स्व0 सुशील कुमार उर्फ काले निवासी रतिराम कॉलोनी फिटनेस जिम के सामने बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, 2. कालू उर्फ देव पुत्र शिव कुमार उर्फ मुनिया निवासी पाण्डे चक्की से आगे पाल चौकी के पास बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद 3. गौरव उर्फ गौरी पुत्र अशोक निवासी शिव मंदिर गौसपुरिया वाली गली बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बार्डर गाजियाबाद 4. प्रिंस उर्फ पुच्ची पुत्र स्व0 संजय निवासी रतिराम कॉलोनी बल्लू भवन वाली गली बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद के नाम प्रकाश में आये व उपरोक्त अभियोग में धारा 109(1) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

आज दिनांक 07.10.2025 थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त हत्या की घटना कारित करने वाले 03 अभियुक्तों 1.अमन पुत्र जीत उर्फ संजित निवासी पाण्डे चक्की से आगे पाल चौक के पास बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद 2.वरूण उर्फ कालू पुत्र स्व0 सुशील कुमार उर्फ काले निवासी रतिराम कॉलोनी फिटनेस जिम के सामने बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद 3.प्रिंस उर्फ पुच्ची पुत्र स्व0 संजय निवासी रतिराम कॉलोनी बल्लू भवन वाली गली बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद को थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तों से पूछताछ के दौरान अभियुक्त अमन ने बताया कि मृतक विशाल व मेरे बीच काफी समय से गुटबाजी चल रही थी। हम दोनो के बीच करीब 04 महीने पहले भी झगडा हुआ था। तब हम दोनों ने एक दूसरे पर जान से मारने की नीयत से फायर व पथराव किया था जिसमें हम दोनो जेल गये थे। दिनांक 01.10.2025 को भी हमारे बीच कहासुनी हो गयी थी जिसमें मैंने अपने परिजनों व साथियों के साथ मिलकर ईट-पत्थरों से विशाल के साथ काफी

मारपीट की थी और दीपांशु के भी बीच बचाव में सिर में चोट लग गयी थी। हम विशाल को मरणासन्न अवस्था में छोडकर वहाँ से भाग गये थे। हमे बाद में पता चला कि विशाल की जीटीबी अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1.अमन पुत्र जीत उर्फ संजित निवासी पाण्डे चक्की से आगे पाल चौक के पास बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, उम्र करीब 26 वर्ष।

2.वरूण उर्फ कालू पुत्र स्व0 सुशील कुमार उर्फ काले निवासी रतिराम कॉलोनी फिटनेस जिम के सामने बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, उम्र करीब 19 वर्ष।

3.प्रिंस उर्फ पुच्ची पुत्र स्व0 संजय निवासी रतिराम कॉलोनी बल्लू भवन वाली गली बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, उम्र करीब 20 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त अमन के विरूद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर पूर्व में मारपीट, हत्या का प्रयास व आयुध अधिनियम के कुल 02 अभियोग पंजीकृत हैं। अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

कार्यवाही का विवरण:- आज दिनांक 07.10.2025 को थाना शालीमार गाड़न पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान अभियुक्त मोहम्मद इब्राहिम अली पुत्र नासिर इस्लाम अली निवासी गली न0 11 साई बाबा मन्दिर के पीछे गरिमा गार्डन थाना टीलमोड़ गाजियाबाद उम्र करीब 39 वर्ष को अग्रवाल स्वीट के पास गन्दे नाले की पुलिया के पास सर्विस रोड़ से चोरी की 01 मोटर साइकिल सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध धारा 317(2),317(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त से पूछताछ में यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त उपरोक्त ने बरामद मोटर साइकिल को लगभग 10 दिन पहले लाजपत नगर साहिबाबाद के पास से चोरी किया था। अभियुक्त उपरोक्त चोरी की मोटर साइकिल को बेचने की फिराक में था कि पुलिस ने चैकिंग के दौरान पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

मोहम्मद इब्राहिम अली पुत्र नासिर इस्लाम अली निवासी गली न0 11 साई बाबा मन्दिर के पीछे गरिमा गार्डन थाना टीलमोड गाजियाबाद उम्र करीब 39 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध चोरी के सम्बन्ध में थाना शालीमार गाड़न 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमन्चा व 01 जिन्दा कारतूस बरामद।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 06/07.10.2025 की रात्रि को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त विष्णु भाटी पुत्र जसवीर सिंह निवासी बी 152 शालीमार गार्डन मैन थाना शालीमार गार्डन कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष को कब्रिस्तान के बराबर वाली गली में लेबर चौक थाना शालीमार गार्डन से 01 अवैध तमन्चा व 01 जिन्दा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त उपरोक्त बरामद अवैध तमंचा को आम लोगों को डराने व धमकाने तथा अपना रौब जमाने के लिये अपने पास रखता है जिसे पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

विष्णु भाटी पुत्र जसवीर सिंह निवासी बी 152 शालीमार गार्डन मैन थाना शालीमार गार्डन कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

01 अवैध तमन्चा व 01 जिन्दा कारतूस बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना शालीमार गाड़न पर आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत प्रभावी पैरवी कर अपराधी को दिलाई सजा।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट गाजियाबाद के दिशा-निर्देशन में नवगठित 'कन्विक्शन सेल' के प्रभावी प्रयासों एवं विवेचक वरिष्ठ उ०नि० श्री उम्मेद सिंह थाना इन्दिरापुरम द्वारा सुसंगत साक्ष्यों के क्रम में की गयी उच्च गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्री सतीश शर्मा द्वारा मा० न्यायालय में की गयी प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप थाना इन्दिरापुरम कमिश्नरेट गाजियाबाद पर पंजीकृत मुकदमा सम्बन्धित धारा 354(क) भादवि में अभियुक्त राकेश पुत्र पातीराम निवासी ग्राम अपेला थाना सैया जनपद आगरा को मा० विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट कोर्ट नं0 3 गाजियाबाद द्वारा आज दिनांक 07.10.2025 को धारा 354(क) भादवि में 03 वर्ष का कठोर कारावास एवं 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

दिनांक 12.05.2014 को वादी की पुत्री के साथ अभियुक्त द्वारा छेड़खानी करने की घटना कारित करने के सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना इन्दिरापुरम पर उक्त अभियोग पंजीकृत कराया गया था।